लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स संजय कुमार, प्रस्तावक, श्री संजय कुमार, पिता–स्व0 पुनीत यादव, पता–सिहमा, पो0–मटिहानी, जिला–बेगूसराय के द्वारा उलाई नदी ब्लॉक–05 सिधेसरी बालू घाट, मौजा–सिधेसरी, प्रखंड–झाझा, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 26.08.2023 को अपराहन् 03:00 बजे प्रखंड सभागार झाझा, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2332/2023, दिनांक 24.03.2023 के आलोक में सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, अपर समाहर्ता, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–''दैनिक जागरण'' एवं ''दैनिक भास्कर'', भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **21.07.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रवीण कुमार राय ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा उलाई नदी ब्लॉक–05 सिधेसरी बालू घाट, मौजा–सिधेसरी, प्रखंड–झाझा, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री संजय कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक–05 में 9.37 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 116938 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹289.67 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या–05 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर 'वैज्ञानिक विधि' तथा अनुमोदित ''खनन योजना'' के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निकलने वाले बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देगा खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया / सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	मो0 शमीम खान, टोला बलियो, सिंधेसरी, जमुई के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार तथा अधिक गहराई तक खनन न हो यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में 21 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। आवश्यकतानुसार अधिक संख्या में भी लोगों को रोजगार दिया जायेगा। स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिया जायेगा साथ ही अप्रत्यक्ष रोजगार के अन्य अवसर भी सृजित होंगे। प्रस्तावित परियोजना में अधिकतक 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने की अनुमति है। अधिक गहराई तक खनन अथवा अवैध खनन की सूचना जिला खनन कार्यालय एवं जिला प्रशासन को दी जा सकती है जिसपर अग्रतर कारवाई की जायेगी।
2.	श्री सुभाष कुमार यादव, सिंधेसरी, जमुई के द्वारा गाड़ियों को ढक कर ले जाने, जल छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों को गांव से बाहर से ले जाने का अनुरोध किया गया।	संवेदक के द्वारा गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों पर दिन में 2 से 3 बार जल का छिड़काव किया जायेगा। गाड़ियों को तारपोलिन शीट से ढककर ले जाया जायेगा तथा ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा। सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जायेगा तथा वृक्षों की समुचित देखभाल की जायेगी। बालू लदे गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़क को आबादी से दूरी को ध्यान में रखकर निर्मित किया जायेगा तथा उसका नियमित देखभाल किया जायेगा।
3.	श्री श्रीकांत यादव, सैर, जमुई के द्वारा पुछा गया कि किस प्रकार के वृक्ष लगाये जायेंगे एवं किस स्थान पर वृक्षारोपण किया जायेगा।	प्रस्तावित परियोजना में कम से कम 94 वृक्ष लगाये जाने का प्रस्ताव है। स्थानीय प्रजाती के ऐसे वृक्ष जो प्रदूषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम हैं, को लगाया जायेगा। सड़क के दोनों तरफ तथा स्थानीय ग्रामीणों से विमर्श कर अन्य सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण किया जायेगा।
4.	श्री सुनील यादव, सोहजाना, जमुई के द्वारा नियमानुसार खनन किये जाने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार खनन का कार्य किया जायेगा। नियमों का अनुपालन नहीं होने पर जिला खनन कार्यालय एवं जिला प्रशासन को सूचना दी जा सकती है। जिसपर अग्रतर कारवाई की जायेगी।
5.	श्री चंद्रदेव यादव, सैर, जमुई के द्वारा बालू लदे गाड़ियों को सिर्फ रात में चलाने देने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया।	प्रशासन के निदेशानुसार शहरी क्षेत्र में प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंधित है। नियम का अनुपालन नहीं होने पर जिला खनन कार्यालय एवं जिला प्रशासन को सूचना दी जा सकती है। जिसपर अग्रतर कारवाई की जायेगी।

6.	श्री सचिन कुमार, पाण्डेयडीह, जमुई के द्वारा अनुरोध किया गया कि गाड़ियों का स्पीड लिमिट प्रतिबंधित करना सुनिश्चित किया जाय तथा गाड़ियों के आवागमन से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर उसका तत्काल मरम्मत कराया जाय।	बालू लदे गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़क का रख–रखाव संवेदक के द्वारा किया जायेगा। प्राप्त सुझाव से संबंधित विभाग एवं वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया जायेगा।

संवेदक श्री संजय कुमार के द्वारा नियमानुसार खनन कार्य करने तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण रोकथाम संबंधित दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर खनन करने का आश्वासन दिया गया।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता–सह–सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समस्याएं भी साथ में आती हैं इनका निराकरण एवं प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किये जाते हैं। प्रस्तावित खनन परियोजना में गाइडलाइन के अनुसार खनन का कार्य सुनिश्चित किया जाय ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो तथा पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। नियमानुसार खनन होने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से भी होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

26-8-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद,
भागलपुर।

अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स संजय कुमार, श्री संजय कुमार, पिता-स्व० पुनीत यादव, पता-सिहमा, पो०-मटिहानी, जिला-बेगूसराय द्वारा उलाई नदी ब्लॉक-05 सिधेसरी बालू घाट, मौजा-सिधेसरी, ब्लॉक-झाझा, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक **26.08.2023** को अपराहन् **03:00** बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार झाझा, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Satyendra Kumar Mishra	ADM Jamui	[illegible] 26/8/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur B.S.P.C.B	Shambhu 26-8-2023
3.	[illegible]	[illegible] जमुई	[illegible] 26/8/2023
4.	Ashish Prakash	खान निरीक्षक, जमुई	AP 26/8/23
5.	Amish Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	[illegible] 26/08/2023
6.	Praveen Kumar Roy	RQP Repr / Env. Consultant	[illegible]
7.	संजय कुमार संवेदक	सिहमा बेगूसराय	Sanjay K
8.	संजय कु० यादव	सिधेसरी	Sanjay Kumar [illegible]
9.	[illegible] यादव	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible] यादव	[illegible]	[illegible] यादव
11.	सुनील यादव	"	सुनील यादव

12.	रविन्द्र यादव	अरंवा	Ravindra Kumar
13.	कुन्दन कुमार	लाखपरी सराय	कुन्दन कुमार
14.	अभिमन्यु कुमार	सौर पाण्डेय डीह	अभिमन्यु कुमार
15.	मुकेश कु० यादव	सौर	मुकेश कु० यादव
16.	Rahul	Sair	Rahul
17.	सुभाष कुमार	सिरवेसरी	सुभाष कुमार
18.	Anil Kumar	Khairwa	Anil Kumar
19.	प्रेम कुमार	सौर	प्रेम कुमार
20.	लक्ष्मण कुमार	[illegible]	लक्ष्मण कुमार
21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	महेश यादव	अरवा	महेश यादव
23.	वरुण कुमार	बुगुल सराय	वरुण कुमार
24.	दिनेश कुमार	[illegible]	दिनेश कुमार
25.	वीरेन्द्र कुमार	[illegible]	वीरेन्द्र कुमार
26.	कौलेश्वर पाइक	दलिया	कौलेश्वर पाइक

27.	रतिश कुमार	सोढ़नाना (झाझा)	रतिश कुमार
28.	शमीम खान	बलियो (सिद्धेश्वरी)	शमीम खान
29.	कैलाश गाढ़ा	बलियो	कैलाश गाढ़ा
30.	अमर नाथ	बलियो	Amar
31.	रविन्द्र कु० यादव	बलियो	Pawlaya
32.	विनोद यादव	लाकर	विनोद यादव
33.	Ashoksah	Sahyra	Ashoksah
34.	मुकेश कु० यादव	झाझा	मुकेश
35.	Sachin Kumar	Pandeyaih	Sachin Kumar
36.	चन्द्रदेव यादव	झा	चन्द्रदेव यादव
37.	राजेन्द्र राम	चितोचक	बनारसी राम
38.	रणधीर राम	चीतो चक	रणधीर राम
39.	Nagendra Kum	RQP.	NK
40.	Md Shamim	BSPCB. Patna	Shami
41.			